

आदेश
दिनांक

आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

नम्बर एवं दिनांक
अहकाम जो इस
आदेश की पालना
में जारी हुए।

28
19

8/4/18

प्राची अधिवक्ता उपस्थित व प्राची
पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.A.M. नोटप्रेस
किपा। पत्रापली का अवलोकन किपा
गया व प्राची अधिवक्ता को सुना
गया प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राची
पत्र नोटप्रेस करने पर स्फरण इसी
स्टेज पर खारिज किपा जाता है
दिनांक 24/07/18 को जारी अस्थाधी
निषेधाज्ञा बिरस्त की जाती है पत्रापली
विधि लेकर नम्बर से कम को 2

28/11

अखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

